पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में,

2016 का आपराधिक विविध संख्या 26136

पीएस मामला सं०-30035 वर्ष-2014 थाना-पटना शिकायत मामला जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. के.सी.श्रीवास्तव @कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव और अन्य पुत्र- स्वर्गीय जे. पी. श्रीवास्तव, द्वारा मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड एक्स-1/170 कृष्ण पुरम, जी. टी. रोड, थाना- चकेरी कानपुर यू. पी.

2. के. सी. डे @काजल चंद्र डे, पुत्र-श्री मनो मोहन डे, मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड 12/10/1 सी. वाई. चिंतामणि रोड पन्नालाल रोड, दरबंगा कॉलोनी, थाना- जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद यू. पी.-211002।

.... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. रमेश कुमार @रमेश कुमार सारदा पुत्र श्री अमर चंद सारदा, बजरंगबली चौक, थाना- फोर्ब्सगंज, जिला- अररिया।

.... विपक्षीगण

==========

के साथ

2016 की आपराधिक विविध संख्या 26031

पीएस मामला सं०-30035 वर्ष-2014 थाना-पटना शिकायत मामला जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. जीवन आशी और अन्य, पुत्र श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव,

2. अरुण कुमार, पुत्र- श्री के. पी. मंडल,

3. सुधीर उपाध्याय @सुधीर कुमार, पुत्र स्वर्गीय एस. पी. उपाध्याय, सभी द्वारा मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड, चौथी मंजिल, पी.झा कॉम्प्लेक्स, साही लेन, एस. पी. वर्मा रोड, थाना-कोटवाही, जिला-पटना-1।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. रमेश कुमार @रमेश कुमार सारदा, पुत्र श्री अमर चंद सारदा, पुत्र बजरंगबली चौक, थाना-फोर्ब्सगंज, जिला। - अररिया।

.... विपक्षीगण

==========

के साथ

2016 की आपराधिक विविध संख्या 26448

पीएस मामला सं०-30035 वर्ष-2014 थाना-पटना शिकायत मामला जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. एस. रामनाथ, पुत्र- श्री एन. आर. एस. सुब्रमण्यम, कार्यपालक निदेशक

2. डी. पी. वाडेरा, पुत्र स्वर्गीय वी. एल. वाडेरा, दोनों निवासी- द्वारा मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड, निवासी, रहेजस , मेन एवेन्यू, वी. पी. रोड, पी. एस.-सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई-400054।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. रमेश कुमार @रमेश कुमार सारदा, पुत्र श्री अमर चंद सारदा, निवासी- बजरंगबली चौक, थाना-फोर्ब्सगंज, जिला। - अररिया।

.... विपक्षीगण

==========

विचाराधीन मुद्दाः भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 406 एवं 418 के तहत **अपराधों के लिए याचिकाकर्ता एवं अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया वाद को रद्द करने के संबंध में** दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता, पूर्व की कार्यवाही, समान रूप से स्थित सह- अभियुक्त के संबंध में रद्द करने एवं कंपनी को एक अभियुक्त के रूप में तैयार करने, **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने हेतु आवेदन दायर किए गए हैं एवं परिवाद वाद के खिलाफ एक जाँच के उपरान्त याचिकाकर्तओं अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 406 एवं 418 के तहत पक्षों में आपसी समझौता कर, समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त के पूर्व प्रक्रिया को रद्द कर- हालांकि व्यवसाय करने वाले एक अभियुक्त के रूप में तैयार नहीं किया गया।**

आयोजित किया गयाःशिकायत याचिका में लगाए गए आरोप से यह माना गया कि पक्षों के बीच व्यावसायिक विवाद के कारण तत्काल मामला दर्ज किया गया है। पक्षों ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और इसके अलावा कंपनी को एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था और केवल इसी आधार पर संज्ञान आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। इसके अलावा इस अदालत ने पहले ही समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों के मामले को देखते हुए पक्षकारों के बीच समझौता प्रतीत होता है, जहां याचिकाकर्ताओं ने रुपये 21,51,000/- का भुगतान ओ. पी. संख्या 2 को और समझौतों के तहत किया गया था और इस तरह इस मामले में आगे की कोई भी कार्यवाही केवल अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर होगी। तदनुसार, दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश सं. 5 भजन लाल मामले के माध्यम से उपलब्ध, शिकायत मामले में पारित संज्ञान के आदेश को इसके सभी परिणामी कार्यवाही के साथ याचिकाकर्ताओं को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया।

1992 पूरक (1) सर्वोच्च न्यायालय वाद 335 में प्रतिवेदित हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य के वाद में शीर्ष न्यायालय का निर्णय- चैप्टर **XIV** के तहत विभिन्न संबंधित प्रावधानों की व्याख्या एवं कानून के सिद्धांत में स्थापित निर्णयों की एक श्रृंखला अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का असाधारण प्रयोग था संहिता 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर वाद की शक्ति का प्रयोग जहाँ ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के तहत न्यायालय पर दुर्व्यवहार या अन्यथा न्याय के हित को संरक्षित रखते हुए- चर्चा की गई [कंडिका 8]

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में,

2016 का आपराधिक विविध संख्या 26136

पीएस मामला सं०-30035 वर्ष-2014 थाना-पटना शिकायत मामला जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. के.सी.श्रीवास्तव @कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव और अन्य पुत्र- स्वर्गीय जे. पी. श्रीवास्तव, द्वारा मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड एक्स-1/170 कृष्ण पुरम, जी. टी. रोड, थाना- चकेरी कानपुर यू. पी.

2. के. सी. डे @काजल चंद्र डे, पुत्र-श्री मनो मोहन डे, मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड 12/10/1 सी. वाई. चिंतामणि रोड पन्नालाल रोड, दरबंगा कॉलोनी, थाना- जॉर्ज टाउन, इलाहाबाद यू. पी.-211002।

.... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. रमेश कुमार @रमेश कुमार सारदा पुत्र श्री अमर चंद सारदा, बजरंगबली चौक, थाना- फोर्ब्सगंज, जिला- अररिया।

.... विपक्षीगण

==========

के साथ

2016 की आपराधिक विविध संख्या 26031

पीएस मामला सं०-30035 वर्ष-2014 थाना-पटना शिकायत मामला जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. जीवन आशी और अन्य, पुत्र श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव,

2. अरुण कुमार, पुत्र- श्री के. पी. मंडल,

3. सुधीर उपाध्याय @सुधीर कुमार, पुत्र स्वर्गीय एस. पी. उपाध्याय, सभी द्वारा मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड, चौथी मंजिल, पी.झा कॉम्प्लेक्स, साही लेन, एस. पी. वर्मा रोड, थाना-कोटवाही, जिला-पटना-1।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. रमेश कुमार @रमेश कुमार सारदा, पुत्र श्री अमर चंद सारदा, पुत्र बजरंगबली चौक, थाना-फोर्ब्सगंज, जिला। - अररिया।

.... विपक्षीगण

==========

के साथ

2016 की आपराधिक विविध संख्या 26448

पीएस मामला सं०-30035 वर्ष-2014 थाना-पटना शिकायत मामला जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. एस. रामनाथ, पुत्र- श्री एन. आर. एस. सुब्रमण्यम, कार्यपालक निदेशक

2. डी. पी. वाडेरा, पुत्र स्वर्गीय वी. एल. वाडेरा, दोनों निवासी- द्वारा मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड, निवासी, रहेजस , मेन एवेन्यू, वी. पी. रोड, पी. एस.-सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई-400054।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बिहार राज्य

2. रमेश कुमार @रमेश कुमार सारदा, पुत्र श्री अमर चंद सारदा, निवासी- बजरंगबली चौक, थाना-फोर्ब्सगंज, जिला। - अररिया।

.... विपक्षीगण

==========

उपस्थितिः-

(2016 की आपराधिक विविध संख्या 26136 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल,

विरोधी पक्ष/दलों के अधिवक्ता : श्री अजीत कुमार ओझा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री अनंत कुमार, एपीपी

(2016 की आपराधिक विविध संख्या 26031 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल

विरोधी दल/दलों के लिए : श्री अजीत कुमार ओझा,

राज्य के अधिवक्ता : श्री संजय कुमार शर्मा, एपीपी

(2016 की आपराधिक विविध संख्या 26448 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल

विरोधी दल/दलों के लिए : श्री अजीत कुमार ओझा,

राज्य के अधिवक्ता : श्री संजय कुमार शर्मा, एपीपी

==========

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः15-03-2024

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत ये आवेदन 2014 के शिकायत मामला संख्या 30035 (सी) में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.04.2015 को रद्द करने के लिए दायर किए गए हैं, जिसके द्वारा विद्वान दंडाधिकारी ने जांच करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 418 के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला पाया है।

2. पक्षों की ओर से पेश हुए वकील को सुना।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षों ने अदालत के बाहर लोगों के हस्तक्षेप से पारस्परिक रूप से समझौता किया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता अब मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के बीच समझौते के संदर्भ में याचिकाकर्तागण पहले ही 21,51,000 रुपये का भुगतान कर चुके हैं। शिकायतकर्ता-विरोधी पक्ष संख्या 2 को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जैसा कि पूरक हलफनामे के पैराग्राफ-4 में उल्लेख किया गया है, इसके अलावा इस अदालत ने पहले से ही समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त विजय कुमार अग्रवाल के संबंध में 2016 का आपराधिक विविध संख्या 23132 दिनांकित 31.08.2018 के माध्यम से कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

5. विपक्ष संख्या 2 की ओर से विद्वान वकील श्री अजीत कुमार ओझा पेश हुए और नोटिस स्वीकार कर लिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 याचिकाकर्ताओं के साथ समझौता करने के बाद, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, अब वर्तमान मामले के साथ आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता है।

6. शिकायत याचिका में लगाए गए आरोप से, इस अदालत ने पाया कि वर्तमान मामला पक्षों के बीच व्यावसायिक विवाद के कारण दायर किया गया है। पक्षकारों ने अब अपने विवाद को सुलझा लिया है और इसके अलावा "प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड" नामक व्यवसाय से निपटने वाली कंपनी को एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था और केवल इसी आधार पर संज्ञान आदेश को खारिज किया जा सकता है।

7. उनकी प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान वकील ने ***सुशील सेठी और एक अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2020) 3 एस. सी. सी. 240*** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर भरोसा किया।

8. ***हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य सप्लीमेंट (1) सर्वोच्च न्यायालय मामले 335*** में प्रतिवेदित मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ सं० 102 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:-

> *"102. अध्याय **XIV** के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा*

482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और लचीले दिशानिर्देशों को निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है। कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराध या मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्राथमिकी में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में दंडाधिकारी आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य अपराध नहीं होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत दंडाधिकारी के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ प्राथमिकी शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी रोक है, संस्था और कार्यवाही जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

9. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए कि मामले पक्षों के बीच समझौता प्रतीत होते हैं, जहां याचिकाकर्ताओं ने 21,51,000 रुपये का भुगतान समझौते के अनुसार विपक्ष संख्या 2 को किया और इस तरह इस मामले में आगे की कोई भी कार्यवाही केवल अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर होगी। तदनुसार, ***भजन लाल (उपरोक्त)*** मामले द्वारा उपलब्ध दिशानिर्देश सं० 5 को ध्यान में रखते हुए 2014 का शिकायत मामला सं० 30035 (सी) में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित दिनांक 16.04.2015 के संज्ञानात्मक आदेश, और इसके सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ याचिकाकर्ताओं की हैसियत से एतद् द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।

10. इसलिए, इन आवेदनों को स्वीकार किया जाता है।

11. टी. सी. आर. (ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स), यदि कोई हो, तो इस फैसले की प्रति के साथ विद्वत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

अर्चना/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।